

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी: बीना माहवर, आर0ए0एस0)

अपील /06/2020 (अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम)

मन्नो पुत्र सुन्दर जाति जाट निवासी खेड़ली गडासिया तहसील बयाना जिला
भरतपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बयाना

.....रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 24.09.2019 तहसीलदार बयाना
मिसिल नम्बर 73/2019 उनवानी राज0 सरकार बनाम
मन्नो अन्तर्गत राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :-


- 1-श्री जितेन्द्र कुमार कर्दम अभिभाषक अपीलान्ट,
- 2-पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 07.09.2020

अपीलान्ट द्वारा यह अपील तहसीलदार बयाना के आदेश दिनांक 24.09.2019 के खिलाफ पेश की गई है। अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहत अदालत का आदेश विधि विरुद्ध होने से काविल निरस्तनीय है। आराजी खसरा नम्बर 2132 रकवा 3.12 है0 में से 0.16 है0 पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर फसल चरी वाने के बाबत पटवारी हल्का ने रिपोर्ट पेश करते हुये यह आदेश अदालत तहत ने पारित किया है जो विधि विरुद्ध होने से काविल निरस्तनीय है। अदालत तहत में अपीलान्ट ने उपस्थित होकर जबाब पेश किया है कि अपीलान्ट का कोई कब्जा नहीं है ना ही फसल बोई गई है यदि पाया जावे तो छोडने को तैयार है। यह चुनावी रंजिस की वजह से नोटिस दिया गया है। अदालत तहत ने मनमाने तौर पर आदेश बेदखली का पारित करते हये 90 दिवस की सिविल जेल का आदेश पारित कर दिया है जो कि गैर कानूनी होने से

Page 1 of 3



अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

निरस्तनीय है। आदेश अन्तर्गत अपील का पता नहीं लग सका था क्योंकि जबाब पेश करते समय यह कहा था कि अब आपको आने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले दिनांक 12.11.2019 को जब पटवारी हल्का पैनल्टी राशि मांगने आया तो उसने बताया तो 13.11.2019 को तहसील में जाकर जानकारी की व उसी रोज नकल का प्रार्थना पत्र पेश किया व नकल प्राप्त की। अतः होने जानकारी व मिलने नकल से अपील अन्दर म्याद पेश की जा रही है। अपीलान्ट ने अपील स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंड एवं तहत पत्रावली तलब की गई। तहसीलदार बयाना से प्राप्त तहत पत्रावली शामिल मिसिल की गई। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्कों में अपील में अंकित कथनों को दौहराते हुये जाहिर किया कि अपीलान्ट का किसी भी सरकारी रकवें पर कोई अतिक्रमण नहीं है, अगर किसी भी रकवें पर अपीलान्ट का कब्जा पाया जाता है तो अपीलान्ट उसे छोड़ने एव तहत अदालत द्वारा पारित दण्डादेश को भुगतने को तैयार है। अपीलान्ट ने तहत न्यायालय में कब्जा छोड़ने के सम्बन्ध में दिनांक 24.09.19 को तथा न्यायालय हाजा में दिनांक 07.09.20 को शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। लगातार कब्जा करने एवं बेदखली का साक्ष्य तहत पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। अपीलान्ट को समुचित साक्ष्य/सुनवाई का भी कोई अवसर नहीं दिया गया है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.09.2019 आधारहीन होने के कारण खारिज फरमाये जाने एवं अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

पैरोकार सरकार ने तहत अदालत तहसीलदार बयाना के अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.09.2019 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अपीलान्ट द्वारा पूर्व में भी इस आराजी पर अतिक्रमण किया गया था। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट के खिलाफ उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान भू राजस्व आधिनियम 1956 की धारा 91 के अंतर्गत की गई है जिसका तहत अदालत को वखूबी अधिकार प्राप्त है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के खिलाफ तहत अदालत द्वारा की गई कार्यवाही न्याय संगत है। अपीलान्ट के हक में आज दिनांक तक उक्त भूमि का आवंटन/नियमन नहीं हुआ है यह भूमि चारागाह भूमि है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्जित होने से नियमन योग्य भी नहीं है ऐसी



अतिरिक्त जिला कलक्टर
भू (गव.)

स्थिति में अपीलान्त किसी भी सहानुभूति का पात्र नहीं है। अपीलान्त राजकीय चारागाह भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी भी है। इसलिए तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश बखूबी न्याय संगत है। अन्त में पैरोकार सरकार द्वारा अपील अपीलान्त आधारहीन होने के कारण खारिज फरमाये जाने एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.09.2019 यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

हमने योग्य अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। मौजूदा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से खसरा नम्बर 2132/3.12 हैक्टेयर में से 0.16 हैक्टेयर किस्म चारागाह वाकै ग्राम खेडली गडासिया पर अपीलान्त द्वारा फसल चरी बोकर अतिक्रमण किया जाना सिद्ध होता है। उक्त अतिक्रमण का सिद्ध होना स्वयं अपीलान्त के द्वारा तहत न्यायालय में प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 24.09.2019 एवं न्यायालय हाजा में प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 07.09.2020 से भी स्पष्ट होता है। शपथ-पत्र के अनुसार अपीलान्त द्वारा अतिक्रमण पाये जाने पर छोड़ना स्वीकार किया है। अपीलान्त द्वारा भविष्य में पुनः अतिक्रमण न करने की हिदायत देते हुये मौके पर अतिक्रमण नहीं पाये जाने की शर्त पर अपीलाधीन आदेश को केवल सजा की हद तक निरस्त किया जाना उचित पाते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्त सशर्त-आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलान्त द्वारा अतिक्रमण हटा लेने की शर्त पर अपीलाधीन आदेश 24.09.2019 केवल सजा की हद तक निरस्त रहेगा, अन्यथा अपीलाधीन आदेश यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 07.09.2020 को सुनाया गया।


(बीना माहवर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर